

गीगडेवी वरार राजेंद्र उमा  
 हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जेन

तारीख हुक्म

पापुन वापुवारी (दाम) 25.9.2024  
 मयुवकील मंगला व ठा पकी दिनांक  
 कार्यवाही मयल में बरि जाती है, मयुव  
 वरार पत्रवली दिनांक 18.09.24 को पेश

18.09.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित  
 प्रकरण में प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकील प्रार्थीगण  
 एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी  
 पत्रावली दिनांक 25.9.2024 को पेश हो।

(अमिल कुमार)  
 बहस वकील (मयुवकील प्रार्थीगण)  
 श्रीप्रामोदपुरी (मयुवकील प्रार्थीगण)

25.09.2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना  
 पत्र वाजदायरी हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण  
 में प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकील प्रार्थीगण पूर्व में सुनी  
 जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र  
 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि प्रार्थीगण के  
 पति/पिता स्व0 मालीराम पुत्र कालूराम ने उक्त मूल वादपत्र  
 बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र टी.आई.  
 न्यायालय में पेश कर रखा था। जिसमें प्रार्थीगण के पति/पिता  
 ही अधिवक्ता के पास पैरवी हेतु आते थे। जिनकी मृत्यु दिनांक  
 03.04.2024 को हो गई है तथा उनका वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी.  
 आई दिनांक 08.02.2023 को वकुलाय उभय पक्षकारान् की  
 अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुए है।  
 जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो सकी। प्रार्थीगण के द्वारा  
 अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर पत्रावली की तलाश की जाने पर  
 मूल वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी.आई. को दिनांक 08.02.2023 को  
 अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी प्राप्त  
 होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.06.2024 को प्राप्त होने पर  
 वाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया है। प्रार्थीगण  
 का दावा उदघोषणा का होने से प्रार्थीगण के विधिक अधिकार व  
 हित निहित होने से वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया  
 जाकर मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः



हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज

वाजदायरी (दावा) अन्व. प्रार्थना

सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्तावेजात् के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के दिनांक 08.02.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.06.2024 को प्राप्त होने पर वाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्दर मिथाद पेश किया जाना प्रकट होता है। उक्त वाजदायरी प्रार्थना पत्र में जारी नोटिसों पर अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र अचल सम्पत्ति का होकर उद्घोषणा से सम्बन्धित है। जिसको सिद्ध करने का समस्त दायित्व प्रार्थीगण वादीगण का ही होता है। मूल वादपत्र के अचल सम्पत्ति का होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के प्रति उदार स्वैया अपनाते हुए प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल वादपत्र उनवानी मालीराम बनाम राजेन्द्र वगै० को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। उक्त दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया जायें। पक्षकारान् वादपत्र में नियमित सुनवाई हेतु न्यायालय में दिनांक 10.10.2024 को पेश हो। प्रार्थना पत्र वाजदायरी फैसल शुमार होकर बाद तफगील दाखिल दफ्तर हो।

  
( अनिल कुमार )

सहायक कलक्टर (फारट ट्रेक)  
श्रीमधोपुर (सीकर) थाना